

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

(भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 के अंतर्गत स्थापित) प्रधान कार्यालय : सिडबी टावर, 15, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226 001

31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही एवं नौ महीनों के वित्तीय परिणाम

(₹ करोड)

_	(₹ करोड़)						
विवरण	समाप्त तिमाही हेतु			समाप्त नौ महीने हेतु		31.03.2023	
	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	को समाप्त वर्ष हेतु	
	[समीक्षित]	[लेखापरीक्षित]	[समीक्षित]	[समीक्षित]	[समीक्षित]	[लेखापरीक्षित]	
1. अर्जित ब्याज (क)+(ख)+(ग)+(घ)	8,230	7,741	5,092	22,475	12,251	17,954	
(क) अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	7,190	6,377	4,441	19,368	10,116	15,173	
(ख) निवेशों पर आय	522	541	250	1,407	689	975	
(ग) भा.रि.बैंक में अतिशेष राशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	518	823	401	1,700	1,446	1,806	
(घ) अन्य	-	-	-	-	-	-	
2. अन्य आय	82	270	235	447	411	531	
3. कुल आय (1+2)	8,312	8,011	5,327	22,922	12,662	18,485	
4. ब्याज व्यय	5,925	5,663	3,595	16,349	8,322	12,406	
5. परिचालन व्यय (i)+(ii)	304	314	193	836	522	824	
(i) कर्मचारी लागत	157	223	113	527	327	507	
(ii) अन्य परिचालन व्यय	147	91	80	309	195	317	
6. प्रावधानों और आकस्मिक व्यय को छोड़कर कुल व्यय (4+5)	6,229	5,977	3,788	17,185	8,844	13,229	
7. प्रावधानों और आकस्मिक व्यय से पूर्व परिचालन लाभ (3-6)	2,083	2,034	1,539	5,737	3,818	5,256	
8. प्रावधान (कर के अलावा) और आकस्मिक व्यय [पुनारांकन पश्चात निवल]	160	215	128	436	461	858	
9. असाधारण मदें	-	-	•	(500)@	-	-	
10. सामान्य गतिविधियों से कर पूर्व लाभ (+)/ हानि (-) (7-8+9)	1,923	1,819	1,411	4,801	3,357	4,398	
11. कर संबंधी व्यय [आस्थगित कर आस्ति/देयता समायोजन पश्चात निवल]	465	445	346	1,177	828	1,054	
12. सामान्य गतिविधियों से कर पश्चात निवल लाभ (+)/ हानि (-) (10-11)	1,458	1,374	1,065	3,624	2,529	3,344	
13. असाधारण मदें (कर व्यय घटाकर)	-	-	-	-	-	-	
14. अवधि का निवल लाभ (+)/ हानि (–)	1,458	1,374	1,065	3,624	2,529	3,344	
(12-13)							
15. चुकता ईक्विटी शेयर पूँजी (अंकित मूल्य रु.10 प्रति शेयर)	569	569	569	569	569	569	
16. आरक्षितियाँ पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर	30,559	29,101	26,246	30,559	26,246	26,935	
17. विश्लेषणात्मक अनुपात							
(i) भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों का प्रतिशत	20.85%	20.85%	20.85%	20.85%	20.85%	20.85%	
(ii) पूँजी पर्याप्तता अनुपात	16.69%	17.09%	19.98%	16.69%	19.98%	19.29%	
(iii) प्रति शेयर आमदनी (मूल और अवमिश्रित) (ईपीएस)	25.63#	24.17#	18.73#	63.74#	44.49#	58.81	
(iv) गैर-निष्पादक आस्ति अनुपात							
क) गैर-निष्पादक आस्ति की सकल राशि	200	82	255	200	255	33	
ख) गैर-निष्पादक आस्ति की निवल राशि	98	0	142	98	142	9	

विवरण	समाप्त तिमाही हेतु			समाप्त नौ महीने हेतु		31.03.2023
	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	को समाप्त वर्ष हेतु
	[समीक्षित]	[लेखापरीक्षित]	[समीक्षित]	[समीक्षित]	[समीक्षित]	[लेखापरीक्षित]
ग) सकल गैर-निष्पादक आस्ति का %	0.05	0.02	0.08	0.05	0.08	0.01
घ) निवल गैर-निष्पादक आस्ति का %	0.02	0.00	0.05	0.02	0.05	0.00
v) आस्तियों पर प्रतिफल (कर पश्चात् वार्षिकीकृत)	1.31%	1.45%	1.20%	1.09%	1.10%	1.00%
vi) निवल मालियत	29,567	27,646	25,713	29,567	25,713	25,465
vii) बकाया मोचनीय अधिमान शेयर	-	·	ı	-	-	-
viii) पूंजी मोचन आरक्षिती	-	•	-	-	-	-
ix) डिबैंचर मोचन आरक्षिती	-	Ī	1	i	-	-
(x) परिचालन सीमा	25.06%	25.39%	28.90%	22.85%	30.15%	28.43%
(xi) निवल लाभ सीमा	17.54%	17.15%	19.99%	15.81%	19.98%	18.09%
xii) ऋण-इक्विटी अनुपात *	8.41	9.00	6.58	8.41	6.58	7.88
xiii) कुल आस्तियों की तुलना में कुल ऋण (%) *	51.21	53.12	46.23	51.21	46.23	49.87

अवार्षिकीकृत

* ऋण (जमा को छोडकर) कुल उधार को दर्शाता है

@ सीजीटीएमएसई को ₹500 करोड़ का योगदान दिया गया

टिप्पणियाँ

- 1) बैंक सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की पृष्ठभूमि में इन वित्तीय परिणामों को तैयार करने की प्रक्रिया में उन्हीं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का अनुपालन कर रहा है, जैसा कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए किया गया था।
- 2) निदेशक मंडल द्वारा 12 फरवरी, 2024 को संपन्न अपनी बैठक में उपर्युक्त परिणामों की समीक्षा की गई।
- 3) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के आंकड़े, छमाही के अंत के संबंध में लेखापरीक्षित आंकड़ों और संबंधित वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के अंत तक प्रकाशित वर्ष से आज तक के समीक्षित आंकड़ों के बीच संतुलन के आंकड़े हैं।
- 4) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर अनर्जक आस्तियों, मानक आस्तियों, अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास, छूट के परिशोधन, निवेश पर आय/ बॉन्ड निर्गम पर व्यय और निवेश संबंधी मूल्यह्रास के प्रावधानों पर विचार करने के पश्चात् 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त नौ महीनों के लिए वित्तीय परिणाम तैयार किए गए हैं। आयकर, आस्थिगत कर और कर्मचारी लाभों सहित अन्य सामान्य और आवश्यक प्रावधान, जहां भी आवश्यक हो, अनुमानित/आनुपातिक आधार पर किए जाते हैं और वर्ष के अंत में समायोजन के अधीन होते हैं।
- 5) 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त नौ महीनों के दौरान, बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित त्वरित प्रावधान नीति के अनुसार, आईआरएसी मानदंडों के तहत निर्धारित न्यूनतम से अधिक दरों पर मानक अग्निमों पर अतिरिक्त प्रावधान किया है। तदनुसार, बैंक 31 दिसंबर, 2023 तक ₹351 करोड़ के मानक अग्निमों पर अतिरिक्त प्रावधान रखा है।
- 6) ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण पर 24 सितंबर, 2021 के भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश के अंतर्गत यथा 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त नौ महीनों के दौरान, हस्तांतिरत∕अिधगृहीत ऋणों के विवरण नीचे दिए गए है:
 - 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त नौ महीनों के दौरान :
 - i) बैंक ने समनुदेशन के माध्यम से चूक रहित किसी भी ऋण का अधिग्रहण नहीं किया है।
 - ii) बैंक ने किसी भी गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) को आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को/अनुमत अंतरितियों/अन्य अंतरितियों को हस्तांतरित नहीं किया है।
 - iii) बैंक ने न तो कोई दबावग्रस्त ऋण अधिग्रहित किया है और न ही किसी चुकरहित ऋण / विशेष उल्लिखित खातों (एसएमए) को अंतरित किया है।
 - iv) बैंक ने एआरसी को हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋणों के संबंध में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) में निवेश नहीं किया है।
- 7) निवल अनर्जक आस्तियों के परिकलन के लिए चल प्रावधान को विचार में नहीं लिया गया है।
- 8) पिछली अवधि के आँकड़ों को वर्तमान अवधि के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यकतानुसार पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
- 9) भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 15 मई, 2019 के पत्र के अनुसार, अगली सूचना तक एआईएफआई के लिए आईएनडी-एएस का क्रियान्वयन आस्थगित कर दिया गया है।
- 10) भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 19 दिसंबर, 2023 के परिपत्र सं आरबीआई/2023-24/90 डीओआर. एसटीआर. आरईसी.58/21.04.048/2023-24 वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) में निवेश के क्रम में बैंक तत्संबंधी प्रभाव का आकलन कर रहा है और ऐसे मामलों में मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान आवश्यकतानुसार प्रावधान किए जाएंगे।
- 11) उपरोक्त परिणाम सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह/-

दिनांक: फरवरी 12, 2024

स्थान: मुंबई

[सिवसुब्रमणियन रमण] अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

- SIDBIOfficial

कृपया हमारी वेबसाइट : www.sidbi.in देखें।

